निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 11/2020 (रसद अपील)

मैसर्स सन्तोष कुमारी धानका प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान संख्या 674 ए, जयपुर शहर जिला जयपुर जरिये फर्म मालिक श्रीमती सन्तोष कुमारी धानका।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय दिनांक 17.12.2019 व आदेश दिनांक 27.12.2019 जिसके द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.11.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश विरूद्व जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.12.2019 व आदेश दिनांक 27.12.2019 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने का आदेश पारित किया गया है, से व्यथित हो कर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 674 ए, जयपुर शहर जिला जयपुर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बिना तथ्यों को जांचे व विवेकाधिकार

कलक्टर
यपुर

का प्रयोग किये प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा आदेश पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने नोटिस क्रमांक 726 दिनांक 30.07.2019 अपीलार्थी को भेजा जिसमें निम्नांकित अनियमितता होना दर्शाया है कि प्रार्थी द्वारा माह मई 2018 में राशनकार्ड संख्या 119000703247 में 40 किलोग्राम, राशनकार्ड संख्या 119000703090 में 40 किलोग्राम तथा राशनकार्ड संख्या 19000703084 में 40 किलोग्राम गेहूँ फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर गेहूँ निकालकर गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी को ना तो कोई शिकायत पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई ना ही रिपोर्ट दिनांक 28.06.2019 जिसको आधार मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया, की प्रति दी गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का दिनांक 14.10.2019 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया कि संबंधित उपभोक्ताओं के द्वारा आधार कार्ड लाये जाने पर आधार संख्या स्पष्ट नहीं दिखने के कारण भूलवश/सहवन से अपीलार्थी द्वारा उक्त आधार नम्बर पर गेहूँ जारी कर दिया गया जिसका चालान संख्या 34260324 दिनांक 14.10.2019 के जरिये 20/–रूपये प्रति किलो के हिसाब से 1 क्विंटल 20 किलो गेहूँ का 2400/–रूपये जरिये चालान विभाग में जमा करवा दिये गये। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 04.02.2020 को अपीलार्थी को यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई कि उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई। दिनांक 04.02.2020 को अपीलार्थी के जिला रसद कार्यालय जयपुर प्रथम में उपस्थित होने तथा पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.12.2019 व आदेश दिनांक 27.12.2019 द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 674 ए, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा जमा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का एकतरफा आदेश पारित कर दिया है। प्रवर्तन अधिकारी डिवीजन संख्या 13 ने दिनांक 28.06.2019 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 674 ए अटेच 674 की मौके पर आकर कोई जांच व निरीक्षण नहीं किया तथा ना ही फर्द मौका तैयार किया, केवल मात्र उचित दुकान मूल्य दुकान संख्या 355 के प्राधिकृत विक्रेता मीना अग्रवाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पत्र में अंकित आधार पर बिना किसी जॉच के जॉच रिपोर्ट तैयार कर जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जिस राशनकार्डधारियो द्वारा गेहूँ निकाला गया उसका आधारकार्ड किस प्रकार गलत है। उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में राशनकार्डधारी का आधार कार्ड नम्बर क्या है अंकित नहीं किया है तथा यह भी बताया कि जो आधारकार्ड राशनकार्डधारी उपभोक्ता ने काम में लिया है वह किसका है। इससे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.06.2019 अस्पष्ट व मनगंढन्त है। जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष राशन डीलर दुकान संख्या 355 दुकानदार मीना अग्रवाल के विरूद्ध जो शिकायत पत्र प्रस्तुत हुआ वह बेनामी है उस पर किसी भी व्यक्ति या संस्था के पदाधिकारी का नाम व पदनाम नहीं है तथा ना ही स्पष्ट हस्ताक्षर है। प्राप्त शिकायत झूंठी, मनगढन्त, आधारहीन अथवा गुमनाम बेनामी है। जिस पर किसी भी प्रकार की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार की शिकायत नस्तीबद्ध की जानी चाहिये। इस संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग ने परिपत्र प. 2(2)(48) कार्मिक/क.3/2002 दिनांक 24.06.2002 द्वारा ये निर्देश प्रसारित किये हुये है कि गुमनाम बेनामी शिकायतें अथवा काल्पनिक नाम से की गई तो ऐसी शिकायतों को बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बिना निरीक्षण व फर्द मौका रिपोर्ट तैयार किये तथा तथ्यों का सत्यापन किये बिना रिपोर्ट सारहीन है। उपभोक्ता अपीलार्थी की

कलक्टर
यपुर

दुकान पर राशनकार्ड व आधारकार्ड लेकर राशन सामग्री प्राप्त करने के लिये आते है जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही गेहूँ दिया जाता है। किसी कारणवश सत्यापन नहीं होने पर आधार के द्वारा मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त करके पोस मशीन में डालकर सत्यापन करके उपभोक्ता को गेहूँ दिया जाता है। पोस मशीन में पहले से ही आधार कार्ड अंकित है। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन में आधार कार्ड अंकित नहीं किये गये है। अपीलार्थी द्वारा गेहूँ का गबन नहीं किया गया है। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की कालाबाजारी करते हुये नहीं पकडा गया है। संदेह के आधार पर किसी को आरोपित नहीं किया जा सकता है। जब तक उसके विरूद्ध कोई स्पष्ट व ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है इससे भी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मिथ्या व मनगढन्त होने के कारण सारहीन है। प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ राशनकार्ड हिस्ट्री की जो सीट संलग्न की है वह सही व प्रमाणित है इस बाबत कोई साक्ष्य व प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है इस कारण उसे साक्ष्य का आधर नहीं माना जा सकता है। जिसके संबंध में ए.आई.आर. 2007 सुप्रिम कोर्ट 1721 की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने राशनकार्ड धारी उपभोक्ता तथा आधार कार्ड धारी से कोई पूछताछ नहीं की तथा ना ही कोई तथ्यात्मक जांच की जबकि राशनकार्डधारी उपभोक्ता का पता उन्हे उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट के साथ उपभोक्ता (राशनकार्ड) के बयान भी संलग्न नहीं है कि उन्हे गेहूँ उपलब्ध हुआ या नहीं। जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 व प्रवर्तन अधिकारी ने जिस शिकायत प्रार्थना पत्र का बिना तथ्यों के सत्यापन किये, अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित कर, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया की प्रतियां अपीलार्थी को नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 व 14 की अवहेलना की है। इस संबंध में ए.आई.आर. 2018 (एनओसी) 231 (पीएटी) राम बिनोद सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य एवं 2008 (2) ईएफआर 298 राजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय समस्त पत्रावली प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट तथा संलग्न पत्रादि का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया जैसा कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.08.2019, 14.10.2019, 21.11.2019 व 17.12.2019 से स्पष्ट है। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखते हुये युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2008 (1) ईएफआर 570 हरलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आदेश में यह स्पष्ट होना चाहिये कि " दुकानदार को सुनवाई का अवसर दिया गया एवं उसे सुना गया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम अपीलार्थी आरोप पत्र में अंकित गेहूं की कीमत चालान संख्या 34360324 दिनांक 14.10.2019 व 34916283 दिनांक 6.11.2019 द्वारा दो बार वसूल कर ली गई है। पोस मशीन के माध्यम से पाई गई अनियमितता का उल्लेख आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किसी नियम तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी खण्ड व प्राधिकार पत्र की किसी शर्त में नहीं है। इस कारण अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियम विरूद्व होने से निरस्तनीय है। निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट का साक्ष्य मान कर निर्णय पारित नही किया जा सकता। मूल साक्ष्य होना आवश्यक है पत्रावली व जांच रिपोर्ट के साथ कोई मूल साक्ष्य नही है। मूल साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को दोषी नही ठहराया जा सकता है। इस कारण अलौच्य आदेश निस्स्तनीय है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने जो कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी के विरूद्व जारी किया उसमें जिस अनियमितता का उल्लेख किया

गया अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अनियमितता मे से कोई भी अनियमितता ना तो सिद्ध हुई और ना ही अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की गई उसके बावजूद अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपना स्वेच्छिक व अवैद्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है, जिससे आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

4. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मुल्य दुकानदार संख्या 674 ए, मैसर्स संतोष कुमारी धानका ने औटच एफपीएस संख्या 674 ए की पोश मशीन से अवैद्य ट्रान्जेक्शन कर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 का उल्लंघन किये जाने से संतोष कुमारी धानका उचित मुल्य दुकान 674 ए की जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी पर एफ पी एस संख्या 674 ए के साथ एफ पी एस संख्या 674 माह मार्च 2018 से अगस्त 2018 तक अस्थाई सम्बद्धता के दौरान मई, 2018 में राशनकार्ड संख्या 11900703247 में परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति सुनिता चौधरी का आधार कार्ड संख्या 843490246944, राशन कार्ड संख्या 119000703090 में परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या 210658653555, राशन कार्ड संख्या 119000703084 में परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या 367318796127 लिंक करके गेहूं का अवैद्य रूप से आहरण किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। संख्या राशनकार्ड संख्या 11900703247, 119000703090 एवं 119000703084 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्ध कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें । आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

25/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर